

## न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-586/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री काण्डे मुण्डा.....आवेदक/ विक्रेता

श्री उमेश गुड़िया.....क्रेता

बनाम

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
02.03.2024	<p align="center"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक श्री काण्डे मुण्डा पिता स्व0 चन्दा मुण्डा ग्राम-कालामाटी, पो0-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <p align="center"><b>भूमि का विवरण</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कालामाटी</td> <td>216</td> <td>26</td> <td>1191</td> <td>0.11</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक श्री काण्डे मुण्डा पिता स्व0 चन्दा मुण्डा ग्राम-कालामाटी, पो0-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री उमेश गुड़िया पिता स्व0 सुखराम गुड़िया ग्राम-फुदी, पो0-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को बिक्री करना चाहते हैं।</p> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं0 0195117866 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 188 दिनांक 28.02.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पुर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम चमरा पाहन वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के परपोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ठ सं0 25 पर जमाबंदी दर्ज है।</p> <p align="center">आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	कालामाटी	216	26	1191	0.11	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)								
कालामाटी	216	26	1191	0.11								

9

थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कार्य हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 188 दिनांक 28.02.2024 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2023/287156 दिनांक 06.09.2023 व आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2023/586223 दिनांक 15.09.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 188 दिनांक 28.02.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक श्री काण्डे मुण्डा पिता स्व० चन्दा मुण्डा ग्राम-कालामाटी, पो०-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री उमेश गुड़िया पिता स्व० सुखराम गुड़िया ग्राम-फुदी, पो०-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम कालामाटी के खाता सं० 26, खेसरा संख्या 1191, कुल रकबा 0.11 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।